उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 05/2006–07

सत्यनारायण साह ..... अपीलकर्ता

बनाम

सरजू सोरेन एवं अन्य ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

27/07/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 05/2006–07 सत्यनारायण साह बनाम् सरजू सोरेन एवं अन्य, सा0 गादी कौरेया, अंचल दुमका के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0– 112/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2003 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों को अवलोकन किया।

उत्तरकारी की उपस्थिति नहीं रहने के कारण उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दाखिल Cause List के आधार पर इस वाद की कार्रवाई दिनांक 30.08.2014 के आदेशानुसार स्थगित रखी गयी थी। पुनः इसे माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची के डब्लू.पी. (एल.) नं0 5633/03 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2016 के आलोक में प्रारंभ की गई है।

वस्तुतः यह मामला मौजा गादी कौरेया, अंचल दुमका के जमाबन्दी खाता नं0 47 के दाग सं0 815 रकवा 00–07–17 धूर जमीन की बन्दोबस्ती से संबंधित है। अपीलकर्त्ता के अनुसार उनके द्वारा उक्त दाग की बन्दोबस्ती हेतु निम्न न्यायालय में एस.आर. वाद सं0 212/1985–86 दायर किया गया था। इस पर अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उनके साथ बन्दोबस्ती हेतु अनुशंसा किया गया था किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत कर दिया गया कि प्रश्नगत जमीन सर्वे खतियान में बाड़ी–।। बोलकर दर्ज है जिसकी बन्दोबस्ती नहीं की जा सकती। इस आदेश की सम्पुष्टि इस न्यायालय के रे0मि0 अपील वाद सं0 101/1987–88 एवं माननीय आयुक्त के रे0मि0 रिविजन वाद सं0 28/1996–97 द्वारा भी किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में डब्लू.पी.(सी.) नं0 5633/03 दायर किया गया। इस अपील वाद के लंबित रहते ही निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत जमीन की बन्दोबस्ती उत्तरकारी के साथ एस.आर. वाद सं0 112/2002–03 आदेश दिनांक 07.11.2003 द्वारा किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उनके दावों के संबंध में माननीय उच्च

न्यायालय में वाद लंबित रहते इस पर कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिए था किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरकारी के साथ उक्त जमींन की बन्दोबस्ती किया गया जो न्यायसंगत नहीं है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा इस वाद में पत्रांक 86/रा0 दिनांक 06.02.2008 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत दाग सं0 815 रकवा 00-07-17 धूर बाड़ी दोयम् गत सर्वे खतियान के खाता नं0 47 में मिस्टर जी.एच. ग्रान्ट यूरोपियन के नाम से दर्ज है किन्तु निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमींन जमाबन्दी नं0 47 के अन्तर्गत रकवा 0.13 डीसमल बाड़ी-।। बकास्त जोत बोलकर सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त जमींन की बन्दोबस्ती हेतु अपीलकर्त्ता द्वारा दायर वाद को माननीय आयुक्त के न्यायालय तक अस्वीकृत किया गया है। पुनः उसी जमींन को उत्तरकारी के साथ निम्न न्यायालय द्वारा बन्दोबस्ती किया गया है जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा जमींन को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।